

LL.B. V Sem. Examination, Dec. 2017
LAW Drafting of Pleadings and Conveyancing

Time: Three Hours]

(K-5075)

[M.M.:50

नोट : सभी खण्डों को निर्देशानुसार हल कीजिए।

Attempt all the Sections as per given instructions.

खण्ड-अ (Section-A)

Note: सभी पाँच प्रश्न हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है। Attempt all the five questions. Each question carries 2 marks. Very Short Answer is required not exceeding 75 words.

1. पक्षकारों का असंयोजन। Non-joinder of parties.
2. वैकल्पिक अभिवचन। Alternative Pleas
3. कोड-पत्र। Codicil
4. मोचन निषेध। Foreclosure
5. अनुप्रमाणन। Attestation

खण्ड-ब (Section-B)

Note: निम्नलिखित तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है। Attempt any two questions out of the following three questions. Each question carries 5 marks. Short Answer is required not exceeding 200 words.

6. प्रतिसादन एवं मुजरा। Counter claim and set-off.
7. बंधक के प्रकार। Types of Mortgage.
8. वाद हेतु का महत्व। Importance of cause of action.

खण्ड-स (Section-C)

Note: निम्नलिखित पाँच प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। Attempt any three questions out of the following five questions. Each question carries 10 marks. Answer is required in detail.

9. अभिवचन के मूल नियमों का वर्णन कीजिए।
Discuss fundamental rules of Pleadings.
10. संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु एक वादपत्र लिखिए।
Write a plaint for specific performance of a contract.
11. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अन्तर्गत क्रूरता के आधार पर एक तलाक याचिका लिखिए। Write a petition under Section 13 of Hindu Marriage Act 1955 for divorce on the ground of cruelty.
12. अ द्वारा ब और स को संयुक्त रूप से और अलग-अलग सामान्य मुक्तारनामा का प्रारूप लिखिए। Draft a general power of Attorney given by A to B and C jointly and severally.
13. पारिवारिक आवश्यकता के लिए पैतृक सम्पत्ति के संबंध में सुरेश द्वारा विक्रय-विलेख का प्रारूप तैयार कीजिए।
Draft a sale deed by Suresh of ancestral property for family necessity.